TRAI ENABLES GROUND-BASED BROADCASTING WITH FLEXIBLE FRAMEWORK

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has issued recommendations allowing broadcasters to choose their preferred technology for providing channels to Distribution Platform Operators (DPOs). These recommendations are part of a broader regulatory framework for ground-based broadcasters (GBBs) aimed at modernizing India's broadcasting industry.

In October 2023, TRAI released a consultation paper seeking stakeholder feedback on non-satellite-based broadcasting technologies. Traditionally, broadcasters in India distribute content via satellite-based uplinking and downlinking, as mandated by the Ministry of Information and Broadcasting (MIB). However, advancements in technology have made it possible to deliver TV channels through terrestrial communication mediums, opening up new avenues for distribution.

KEY RECOMMENDATIONS

TRAI highlighted the need for an enabling framework that supports technological advancements while protecting consumer interests. The authority emphasized a technology-agnostic approach to foster industry growth. Here are the main points:

Broadcaster's Choice of Technology: Broadcasters should have the freedom to choose between satellite and terrestrial communication mediums for delivering channels to DPOs.

Terrestrial Broadcasting:

Ground-based broadcasting technologies allow broadcasters to distribute channels via terrestrial infrastructure, including cable, fiber, cellular, microwave, Wi-Fi, internet, or cloud-based systems. These channels can be retransmitted through DPO networks under commercial agreements.

ट्राई ने लचीले ढ़ांचे के साथ ग्राउंड आधारित प्रसारण को सक्षम बनाया

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को चैनल प्रदान करने के लिए प्रसारकों को अपनी पसंदीदा तकनीक चुनने की अनुमति देने वाली सिफारिशें जारी की हैं। ये सिफारिशें भारत के प्रसारण उद्योग को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से ग्राउंड आधारित प्रसारकों (जीबीबी) के लिए एक व्यापक विनियामक ढ़ांचे का हिस्सा हैं।

अक्टूबर **2023** में ट्राई ने गैर सैटेलाइट आधारित प्रसारण तकनीकियों पर हितधारकों की प्रतिक्रिया मांगते हुए एक परामर्शपत्र जारी किया। परंपरागत रूप से भारत में प्रसारणकर्ता सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा अनिवार्य किये गये सैटेलाइट आधारित अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के माध्यम से सामग्री वितरित करते हैं। हालांकि, तकनीकी में प्रगति ने टेरस्ट्रियल संचार माध्यमों के माध्यम से टीवी चैनल वितरित करना संभव बना दिया है, जिससे वितरण के लिए नये रास्ते खुल गये हैं।

मुख्य सिफारिशें

ट्राई ने एक सक्षम ढ़ांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए तकनीकी प्रगति का समर्थन करता है। प्राधिकरण ने उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी अज्ञेय दृष्टिकोण पर जोर दिया। यहां मुख्य बिंदु दिये गये हैंः प्रसारकों की प्रौद्योगिकी का विकल्पः प्रसारकों को डीपीओ को चैनल वितरित करने के लिए सैटेलाइट और टेरस्ट्रियल संचार माध्यमों के बीच चयन करने को स्वतंत्र होनी चाहिए।

टेरस्ट्रियल प्रसारणः

ग्राउड आधारित प्रसारण तकनीकें प्रसारकों को केवल, फाइबर, सेलुलर, माइक्रोवेव, वाई-फाई, इंटरनेट या क्लाउड आधारित सिस्टम सहित स्थलीय बुनियादी ढ़ांचे के माध्यम से चैनल वितरित करने की अनुमति देती हैं। इन चैनलों को वाणिज्यिक समझौतों के तहत डीपीओ नेटवर्क के माध्यम से पुनः प्रसारित किया जा सकता है।

Regulatory Framework for GBBs:

The framework for ground-based broadcasters should align with the 2022 'Guidelines for Uplinking and Downlinking of Satellite Television Channels in India,' excluding provisions specific to satellite communications. GBBs will not require authorization from IN-SPACe or frequency assignments from the WPC wing of the Department of Telecommunications but will still need other clearances, such as from the Ministry of Home Affairs.

Scope of Ground-based Broadcasting:

GBBs can use any terrestrial communication technology to provide channels to DPOs. They can also combine terrestrial and satellite technologies for the same channel, subject to prior government approval.

Policy for FAST Channels:

TRAI recommended that MIB examine the compliance of Free Ad-Supported Television (FAST) channels with existing guidelines and, if necessary, issue updated policies.

BENEFITS OF THE NEW FRAMEWORK

TRAI's recommendations aim to:

- Expand distribution options for broadcasters and DPOs.
- Facilitate industry growth by leveraging advancements in terrestrial communication technologies.
- Ensure flexibility for broadcasters to adapt to technological changes.
- Streamline regulatory processes under the 'Ease of Doing Business in Telecom and Broadcasting Sector' initiative.

NEXT STEPS

TRAI's recommendations build upon its 2014 suggestions on platform services, updated to reflect current industry developments. Following a request from MIB in May 2024, these recommendations aim to align with the evolving broadcasting landscape under Section 11(1)(a) of the TRAI Act, 1997.

The regulatory framework will ensure that broadcasters can reap the benefits of technological advancements while maintaining service continuity and compliance with industry standards. If implemented, these changes will mark a significant shift in India's broadcasting ecosystem, enhancing its efficiency and adaptability in a technology-driven era. ■

जीबीबी के लिए विनियामक ढ़ांचाः

भू आधारित प्रसारकों के लिए ढ़ांचा **2022** के 'भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देशों' के अनुरूप होना चाहिए, जिससे सैटेलाइट संचार के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं है। जीबीबी को इन–स्पेस से प्राधिकरण या दूरसंचार विभाग के डब्लूपीसी विंग से फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्हें गृह मंत्रालय जैसी अन्य मंजूरियों की आवश्यकता होगी।

ग्राउंड आधारित प्रसारण का दायराः

जीबीबी डीपीओ को चैनल प्रदान करने के लिए किसी भी स्थलीय संचार तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। वे ही एक चैनल के लिए स्थलीय और सैटेलाइट तकनीकों को भी जोड़ सकते हैं, जो कि पूर्व सरकारी अनुमोदन के अधीन है।

फॉस्ट चैनलों के लिए नीतिःट्राई ने सिफारिश की कि एमआईबी मौजूदा दिशा–निर्देशों के साथ मुफ्त विज्ञापन समर्थित टेलीविजन (फास्ट) चैनलों के अनुपालन की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो अपडेट नीतियां जारी करें।

नये ढ़ांचे का लाभ

ट्राई की सिफारिशों का लक्ष्य हैः

- प्रसारकों और डीपीओ के लिए वितरण विकल्प का विस्तार करना।
- टेरस्ट्रियल संचार प्रौद्योगिकियों में प्रगति का लाभ उठाकर उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाना।
- प्रसारकों के लिए तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए लचीलापन सुनिश्चित करना।
- दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी पहल के तहत विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

अगले कदम

ट्राई की सिफारिशें प्लेटफॉर्म सेवाओं पर **2014** के सुझावों पर आधारित हैं, जिन्हें वर्तमान उद्योग विकास को दर्शाने के लिए अपडेट किया है। मई **2014** में एमआईबी के अनुरोध के बाद इन सिफारिशों का उद्देश्य ट्राई अधिनियम **1997** की धारा **11** (**1**)(ए) के तहत विकसित हो रहे प्रसारण परिदृश्य कए साथ तालमेल बैठाना है।

विनियामक ढ़ांचा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसारणकर्ता सेवा निरंतरता और उद्योग मानकों के अनुपालन को बनाये रखते हुए तकनीकी प्रगति का लाभ उठा सकें। यदि ये परिवर्तन लागू किये जाते हैं तो ये भारत के प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लायेंगे, जिससे प्रौद्योगिकी संचालित युग में इसकी दक्षता और अनुकूलनशीलता बढ़ेगी। ■